न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/158

मिसल नम्बर– 16 / 2025

1.बृजमोहन आत्मज खुशाली राम आयु 62 साल निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी, गली नं. 12 माला फाटक कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.रोहित आत्मज बृजमोहन

2.श्रीमती ईशा पत्नि रोहित निवासीगण महात्मा गांधी कॉलोनी गली नं. 12 माला फाटक कोटा।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/8/25

उपस्थिति:–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री प्रभुदयाल राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम. के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रिटायर्ड फौजी है सिनियर सिटीजन है और कैन्सर पिडित है। जिसे हमेशा दवाई गोली वे अपनापन के सहयोग की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते है इसलिये उन्हे प्रार्थी घर से बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी सेवानिवृत होने के बाद अपने उक्त पते पर मकान को क्रय करके उसमें परिवार सहित निवास करने लग गया प्रार्थी की पत्नि श्रीमती शिक्षा देवी हारी–बिमारी से ग्रसित है और बेसहारा है और प्रार्थी के बड़ा पुत्र राहूल उसकी पत्नि रमा और उनका पुत्र देर्य छोटा पुत्र रोहित उसकी पत्नि ईशा और उनका पुत्री पारकी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से व उसकी पत्नि व उसके बडे पुत्र व उसकी पत्नि से रंजिश रखते आ रहे है क्योकि अप्रार्थी क्रम–2 अप्रार्थी क्रम–1 भगाकर लाया था सन् 2012 में मुस्लिम समाज की होने की वजह से निकाह कर लिया और उसे घर ले आया उसके बाद से ही घर का माहौल खराब होने लग गया। प्रार्थी ने जब मकान क्रय किया तो उसमें दो कमरे सामने दो कमरे पीछे बीच हॉल किचन लेट–बाथ बने हुये है। प्रार्थी अपने कमरे में रह रहा है। प्रार्थी का बडा पुत्र उसके कमरे में रह रहा है और अप्रार्थीगण दूसरे कमरे में रह रहे है। लेकिन अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थी को बार–बार धमकी देती है कि हमे पेन्शन का रूपया पूरा चाहिये और नही दोगे तो मार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खाओगें । प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने अनेकों बार मारपीट कर दी है। कही बार लाठी–डन्डों से मारपीट की है प्रार्थी ने उनके खिलाफ सम्बन्धित थानाधिकारी के पास हर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी है लेकिन थानाधिकारी द्वारा शांन्तिभंग में पाबन्द करके उसे छोड दिया जाता है। अप्रार्थी क्रम–1 शराब पीने का आदी है जुंआ खेलने का आदी है। उसने कर्जा कर रखा है कर्जा मांगने वाले आते है तो मकान बेचने की धमकी देता है कर्जा चुकाने की धमकी देता है प्रार्थी के मना करने पर उसके साथ मारपीट. की जाती है उसकी पत्नी के साथ मारपीट की जाती है ऐसा सन् 2012 से लगातार होता आ रहा है। दिनांक 13.03.2025 को होली के दिन प्रार्थी अपने कमरे में लेटा हुआ था। अप्रार्थी क्रम–1 बाहर से शराब पीकर आया और अप्रार्थी क्रम–2 को साथ लेकर आया उसके हाथ में लठ था प्रार्थी के साथ मारपीट करने लग गये कहा कि मैं मार के ही छोडूंगा तभी यह मकान बिकेगा तभी मेरा कर्जा चुकेगा। प्रार्थी को मारा–पीटा और अप्रार्थी क्रम–2 ने प्रार्थी के हाथ पर दातों से जोर से काट लिया मारपीट एवं काटने से शरीर व गंभीर चौटे कारित हो गयी। प्रार्थी लव लुवान अवस्था में थानाधिकारी के पास पहुंचा थानाधिकारी ने उसकी शिकायत दर्ज की और अप्रार्थीगण को लॉकअप में बन्द रखा और दूसरे दिन शान्तिभंग की कार्थवाही –में पेश कर दिया उसके बाद से अप्रार्थीगण प्राथी के साथ बडी घटना कारित करने मे आमादा है मकान से भगाने का प्रयास कर रहे है। मकान को बेचने का प्रयास कर रहे है जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की धमकी दे रहे है। इससे प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि काफी घबरा गयी है भयभीत हो गये है डर का माहौल पैदा हो गया है अप्रार्थी क्रम–1 शराब के नशे में धुत्त होकर उसके मार्थें कर्जा होने से कोई बडी घटना कारित कर संकता है अथवा घर से निकाल सकता है इसलिये उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को उस घर से हमेशा–हमेशा के लिये बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है यदि समय पर बेदखल नही किया गया तो अप्रार्थीगण कुछ भी कर सकते है। जब भी नशा करके आता है प्रार्थी को यह धमकी देता है कि तुझे तो मैं जान से मार दूंगा अपनी मौत तु कैंसर से तो नही मर पायेगा लेकिन में तुझे जान से मार दुंगा प्रार्थी का भविष्य अधंकार में हो गया हमेशा डर सताता रहता है इसलिये अप्राथीगण को बेदखल करना आवश्यक है। अतः परिवाद पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के रिहायशी परिसर से बेदखल किये जाने के आदेश करने की कृपा करें ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस में प्रार्थी केन्सर की बीमारी से अप्रार्थीगण, प्रार्थी से रंजिश रखते है, पूर्णतया असत्य है, बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ अपने पुत्र व पुत्र वधु होने का पूरा फर्ज अदा करते चले आ रहे है, इसके बावजूद भी प्रार्थी का रवैया अप्रार्थीगण के साथ ठीक नही रहा है और ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण को मकान से निकालने पर आमदा है। अप्रार्थीगण शादी के बाद से ही प्रार्थी की इच्छा से उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है, तथा प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा आदि करते है। यहां यह लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी रिटायर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

फौजी है, जिनकी अच्छी खासी पेंशन राशि प्राप्त होती है तथा प्रार्थी के साथ शामलात में बडा भाई राहुल व उसकी पत्नी रमा साथ निवास करते है और प्रार्थी ने अपने छोटे पुत्र व पुत्र वधु को शादी के बाद से ही अलग कर दिया था, तब से ही अप्रार्थीगण अलग खाना–पीना व सब कुछ अलग करते चले आ रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 होम गार्ड का कार्य करता है, जो कि नियमित नहीं है, जिससे बमुश्किल अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। इस मद में अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थिया क्रम–2 जो कि मुस्लिम है, परन्तु अप्रार्थी ने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है और प्रार्थी की भी इसमें सहमति रही है और इस कारण से प्रार्थी ने स्वयं ही अप्रार्थीगण को रहने की अनुमति प्रदान की थी। शादी के कागजात भी स्वयं प्रार्थी ने अपने पजेशन में रख रखे है। अप्रार्थीगण शांतीपूर्वक अपनी कमाई के अनुसार जीवन व्यतीत करते चले आ रहे है, अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी व किसी अन्य को कभी परेशान नही किया है, बल्कि अप्रार्थगण समय – समय पर प्रार्थी व परिवार की हर संभव मदद करते रहे है आज भी करते चले आ रहे है। इसके बावजूद भी प्रार्थी बडे पुत्र के बहकावे में आकर सम्पूर्ण मकान को हडपने की गरज से अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर उन्हे मकान से जबरन बेदखल करना चाहते है, जबकि उक्त मकान ना तो प्रार्थी के नाम से है और ना ही बिजली के कनेक्शन उनके नाम से है तथा प्रार्थी का बड़ा पुत्र व पुत्र वधु अप्रार्थीगण से आये दिन लडाई– झगडा व मारपीट करते है और जबरन अप्रार्थीगण को घर से निकालने पर आमदा रहते है। अप्रार्थी संख्या–1 ना तो जुआ खेलता है, ना उसने कोई कर्जा ले रखा है, ना अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी के साथ कोई दुर्वयवहार या मारपीट की है, ना ही अप्रार्थी संख्या–1 ने कभी शराब पिया है; ना अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी को दांतो से कभी कांटा है या कभी प्रार्थी कोई चोट कारित नही की है, बल्कि अप्रार्थीगण को शादी के बाद से ही अपने पुत्र व पुत्र वधु होने का फर्ज पूरी तरह से निभाते चले आ रहे है, परन्तु प्रार्थी अपने बड़े बेटे बह के बहकावे में आकर मिलीभगत के तहत अप्रार्थीगण को घर से निकालना चाहते है, जबकि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी जो मेहनत मजदूरी करके घाडी कमाई थी, उसकी बचत को मकान बनाने में लगाया है, प्रकार सभी के सहयोग से तथाकथित मकान का निर्माण हुआ है। इस कारण उक्त तथाकथित मकान में प्रार्थी के साथ– साथ अप्रार्थीगण का भी बराबर–बराबर का हिस्सा बनता है, क्योकि उक्त तथाकथित मकान ना तो प्रार्थी स्वयं का है और ना ही स्वअर्जित आय से निर्मित किया गया है। परन्तु प्रार्थी अपने बडे पूत्र व बहु के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण से मकान छीनते हुऐ उन्हे मकान से बेदखल करना चाहता है, जिसका प्रार्थी व अन्य को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करने व घर से निकालने के सम्बंध में कई बार अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठी शिकायते भी थाने व अन्य जगहो पर दी जा चुकी है और यहां तक कि कई बार अप्रार्थी संख्या 1 को झूठे प्रकरणों में शांति भंग के तहत लोकअप में भी बंद करवा चुके है। तथा अब प्रार्थी ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण को घर से निकालने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या–1 ना तो जुआ खेलता है, ना उसने कोई कर्जा ले रखा है, ना अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

साथ कोई दुर्वयवहार या मारपीट की है, ना ही अप्रार्थी संख्या–1 ने कभी शराब पिया है, ना अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी को दांतो से कभी काटा है या कभी प्रार्थी कोई चोट कारित नहीं की है, बल्कि अप्रार्थीगण को शादी के बाद से ही अपने पुत्र व पुत्र वधु होने का फर्ज पूरी तरह से निभाते चले आ रहे है, परन्तु प्रार्थी अपने बडे बेटे बहू के बहकावे में आकर मिलीभगत के तहत अप्रार्थीगण को घर से निकालना चाहते है, जबकि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी जो मेहनत मजदूरी करके घाडी कमाई थी, उसकी बचत को मकान बनाने में लगाया है, इस प्रकार सभी के सहयोग से तथा कथित मकान का निर्माण हुआ है। इस कारण उक्त तथा कथित मकान में प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण का भी बराबर–बराबर का हिस्सा बनता है, क्योकि उक्त तथाकथित मकान ना तो प्रार्थी स्वयं का है और ना ही स्वअर्जित आय से निर्मित किया गया है। परन्तु प्रार्थी अपने बडे पुत्र व बहु के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण से मकान छीनते हुऐ उन्हें मकान से बेदखल करना चाहता है, जिसका प्रार्थी व अन्य को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करने व घर से निकालने के सम्बंध में कई बार अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठी शिकायते भी थाने व अन्य जगहो पर दी जा चूकी है और यहां तक कि कई बार अप्रार्थी संख्या–1 को झूटे प्रकरणो में शांती भंग तहत लोकअप में भी बंद करवा चुके है। तथा अब प्रार्थी ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण को घर से निकालने पर आमदा है। अप्रार्थीगण शादी के बाद से ही प्रार्थी की इच्छा से उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है, तथा प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा आदि करते है। यहां यह लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी रिटायर फौजी है, जिनकी अच्छी खासी पेंशन राशि प्राप्त होती है तथा प्रार्थी के साथ शामलात में बडा भाई राहूल व उसकी पत्नी रमा साथ निवास करते है और प्रार्थी ने अपने छोटे पुत्र व पुत्र वधु को शादी के बाद से ही अलग कर दिया था, तब से ही अप्रार्थीगण अलग खाना–पीना व सब कुछ अलग करते चुले आ रहे है। जबके अप्रार्थी संख्या –1 होम गार्ड के साथ –साथ सिक्युरिटी का कार्य करता है, जो कि नियमित नही है, जिससे बमुश्किल अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। इस मद में अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थिया क्रम–2 जो कि मुस्लिम है, परन्तु अप्रार्थी ने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है और प्रार्थी की भी इसमें सहमति रही है और इस कारण से प्रार्थी ने स्वयं ही अप्रार्थीगण को रहने की अनुमति प्रदान की थी। शादी के कागजात भी स्वयं प्राथी ने अपने पजेशन में रख रखे है। प्रार्थीगण द्वारा स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई भी पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है जिससे प्रमाणित होता हो कि जिस मकान से प्रार्थी अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है वह प्रार्थीगण का हो तथा प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त मकान का बिजली का बिल भी प्रस्तुत नही किया क्योकि उक्त मकान प्रार्थी के नाम नही है। जब प्रार्थी उक्त मकान का स्वामी नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को प्रार्थना चलने योग्य नही है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकों को न्यायिक दृष्टान्त मे प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक मामले मे न्यायालयो को बेदखली का आदेश पारित नही करना चाहिए जैसा कि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

URMILA DIXIT VERSUS SUNIL SHARAN DIXIT AND ORS. CIVIL APPEAL NO. 10927 OF 2024 J U D G M E N T DATE JANUARY 02, 2025

Senior Citizens Act Doesn't Mandate Eviction of Children From Parents' Home In Every Case. Supreme Court Rejects Mother's Plea To Evict Son.

Rajasthan High Court-Jodhpur Vinod Sharma vs Smt. Shanti Devi on 21 February, 2022

Senior Citizens Act Does Not Contemplate Eviction Of Children, Tribunal Can Only Order Maintenance: Rajasthan High Court.

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत केवल वृद्ध व्यक्तियों के भरण पोषण प्रदान करने का प्रावधान है बेदखली का प्रावधान नही है। अप्रार्थीगण की ओर से अपनी लिखित बहस विभिन्न नयायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा करते है और कई बार लाठी–डन्डों से मारपीट की है। प्रार्थी को मारा–पीटा और अप्रार्थी क्रम–2 ने प्रार्थी के हाथ पर दातों से जोर से काट लिया मारपीट एवं काटने से शरीर व गंभीर चौटे कारित हो गयी। प्रार्थी लहु लुहान अवस्था में थानाधिकारी के पास पहुंचा थानाधिकारी ने उसकी शिकायत दर्ज की। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बदेखल करने हेतु पर्याप्त आधार पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान महात्मा गांधी कॉलोनी, गली नं. 12 माला फाटक कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा